

रिसर्च में साठ प्रतिशत से अधिक समानता होने पर यूजीसी करेगा रजिस्ट्रेशन रद्द

शोध में साहित्यिक चोरी रोकने की पहल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
विनियम-2018 किया जारी

ब्यूरो/नवज्योत, जयपुर

देशभर के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में अब रिसर्च ईमानदारी से करना होगा। ऐसे नहीं



University Grants Commission

करने वाले छात्रों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), नई दिल्ली सख्त कार्रवाई करेगा और अपने रिसर्च में दस प्रतिशत से अधिक समानता

होने पर इसके शोध को मान्य नहीं किया जाएगा। इस संबंध में यूजीसी ने अधिसूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम-2018 जारी कर दिया है, जिसके अनुसार दस प्रतिशत तक रिसर्च में समानता होने पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन दस से चालीस प्रतिशत तक समानताएं होने पर छात्रों को अधिकतम छह माह की अवधि में संशोधित आलेख जमा कराना होगा। इसके साथ ही चालीस से साठ प्रतिशत तक की समानता होने पर छात्रों को अधिकतम एक वर्ष की अवधि में संशोधित आलेख देना होगा। वहीं साठ प्रतिशत से अधिक समानताएं होने पर ऐसे छात्रों के उस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण को ■ शेष पेज-7

रिसर्च से साठ...

रद्द कर दिया जाएगा।

यह भी होगी कार्रवाई : चालीस से साठ प्रतिशत और उससे अधिक समानताएं होने पर छात्रों को तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी नए निष्णात, एमफिल, पीएच.डी. छात्र, विद्वान का पर्यवेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।